

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

डुधराज पुत्र धर्मराम बनाम

किस्म मुकदमा :- राजस्व वाद,

तहसीलदार

नम्बर :- 107/2023

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
तारीख
अहकाम जो
हक हुक्म
की तामील
में जारी
हुए

13.06.23

प्रार्थी उपस्थित।

राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान भूमबलियां में पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 RT Act. के तहत पेश किया। वादी का दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा- भूमबलियां पटवार हल्का भूमबलियां में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 136 के ख.नं. 216 में प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि हैं। जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम धर्मा पुत्र मंगा दर्ज है जबकि प्रार्थीगण के अन्य सभी दस्तावेजात में पिता का सही नाम धर्मराम पुत्र चौथाराम हैं, प्रार्थी ने अपने पिता का नाम धर्मा पुत्र मंगा के स्थान पर धर्मराम पुत्र चौथाराम शुद्ध दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रशासन गांवो के संग अभियान भूमबलियां में मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक लाम्बियां व तहसीलदार जैतारण ने जांच कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मौजा- भूमबलियां में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 136 के ख.नं. 216 संयुक्त खातेदारी की भूमि आयी हुई हैं। जिसमें प्रार्थीगण के पिता का नाम धर्मा पुत्र मंगा दर्ज है जबकि प्रार्थीगण के अन्य सभी दस्तावेजात में धर्मराम पुत्र चौथाराम दर्ज हैं, प्रार्थीगण के पिता का नाम धर्मा पुत्र मंगा के स्थान पर धर्मराम पुत्र चौथाराम शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक लाम्बिया व तहसीलदार जैतारण की अभिशंषा के आधर पर मौजा- भूमबलियां में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 136 के ख.नं. 216 में प्रार्थी के पिता के नाम की त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि धर्मा पुत्र मंगा को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम " धर्मराम पुत्र चौथाराम " दर्ज करते हुये तहसीलदार जैतारण को इसी अनुरूप भू-अभिलेख अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है, अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। आदेशिका की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ला पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

SDO (ज्याम सुन्दर चिन्नाई)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन

सहायक कलक्टर जैतारण

